न्यायालय— द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला—भिण्ड

(समक्ष : पी०सी०आर्य)

विविध व्यवहार अपील क्रमांकः 35 / 2014 संस्थापन दिनांक 19.02.2014 फाईलिंग नंबर—230303000052014

- 1. हरेन्द्र आयु 34 साल
- अकलेन्द्र आयु 31 साल पुत्रगण राघवेन्द्र श्रीवास्तव जाति कायस्थ निवासीगण वार्ड नंबर–13 गोहदी गेट गोहद जिला भिण्ड

.....अपीलार्थी / वादीगण

वि रू द्ध

- 1. दिनेश कुमार पुत्र हरीराम आयु 48 साल
- राजेश कुमार पुत्र तोताराम आयु 46 साल जाति वैश्य निवासी वार्ड नंबर—13 गोहदी दरवाजा गोहद जिला भिण्ड
- शिवचरनलाल पुत्र प्यारेलाल आयु 74 साल जाति वैश्य निवासी वार्ड नंबर—7 बाबा कपूर की गली गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
- 4. लोकेन्द्र प्रसाद आयु 59 साल
- राघवेन्द्र आयु 54 साल पुत्रगण स्व0 दुर्गाप्रसाद जाति कायस्थ निवासीगण वार्ड नंबर—13 गोहदी दरवाजा गोहद
- म0प्र0 राज्य शासन द्वारा:—
 श्रीमान कलैक्टर महोदय,
 जिला भिण्ड म0प्र0
- 7. महेशचन्द्र श्रीवास्तव पुत्र रामस्वरूप श्रीवास्तव आयु 49 साल जाति कायस्थ निवासी वार्ड नंबर—11 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
- 8. सुनील कुमार पुत्र स्व0 छोटेलाल आयु 47 साल जाति वैश्य निवासी वार्ड नंबर—11 गोहद जिला भिण्ड
- 9. अजरऐरेकर पुत्र बी0आर0 ऐरेकर आयु 44 साल निवासी सदर बाजार गोहद
- 10. सुभाष अग्रवाल पुत्र भगवानदास अग्रवाल आयु 47 साल जाति वैश्य निवासी वार्ड नंबर-7 इटायली गेट गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
- महेन्द्रसिंह पुत्र स्व० रन्छोरसिंह आयु ४७ साल निवासी वार्ड नंबर-७७ गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

प्रत्यश	ग्रीगण ∕	प्रतिवाद	रीगण
---------	----------	----------	------

न्यायालय- व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-एक, गोहद श्री केशवसिंह द्वारा व्यवहार वाद कमांक-19 ए/13 में पारित आदेश दिनांक 13.02.2014 से उत्पन्न विविध व्यवहार अपील

अपीलार्थीगण / वादीगण द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता प्रत्यर्थी / प्रतिवादी क्रमांक— 1 द्वारा श्री पी०एन०भटेले अधिवक्ता प्रत्यर्थी / प्रतिवादी क्रमांक-2 द्वारा श्री एम०एल० मुदगल अधिवक्ता प्रत्यर्थी / प्रतिवादी क्रमांक-7,8,9,10,11 द्वारा श्री महेश चन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता प्रत्यर्थी / प्रतिवादी क्रमांक-3,4,5,6 पूर्व से एकपक्षीय।

_::- **अा दे श** —::-(आज दिनांक **13 मार्च 2015** को खुले न्यायालय में पारित)

- अपीलार्थीगण / वादीगण ने यह अपील श्री केशवसिंह, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग एक, गोहद द्वारा अपने न्यायालय के व्यवहार कमांक-19 ए/13 में दिनांक 13/02/2014 को पारित आदेश, जिसके द्वारा अपीलार्थी / वादीगण द्वारा प्रस्तृत अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन-पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सी0पी0सी0 का निरस्त किया है जिससे असंतृष्ट होकर पेश की है।
- प्रकरण में यह निर्विवादित है कि वादीगण/अपीलार्थीगण प्रत्यर्थी / प्रतिवादी क0-5 के पुत्र हैं और प्रत्यर्थी / प्रतिवादी क0-4 के भतीजे हैं तथा राजस्व अभिलेख में केताओं का इन्द्राज होता रहा है।
- विचारण न्यायालय में अपीलार्थीगण/वादीगण हरेन्द्र आदि द्वारा प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण दिनेश कुमार आदि के विरूद्ध स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु दावा प्रस्तुत किया जाकर एक आवेदन—पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 इस आशय का पेश किया गया कि भूमि खसरा क्रमांक-204 रकवा 0.53 की भूमि ग्राम कीरतपुरा परगना गोहद में स्थित है जो वादीगण की पुश्तैनी संपत्ति है जिस पर उनका जन्मजात हक है। वादीगण के पिता राघवेन्द्र प्रतिवादी क0-5 हैं। तथा प्रतिवादी क0–4 लोकेन्द्र वादीगण का ताउ है। इसलिये वादीगण एवं प्रतिवादीगण का संयुक्त हिन्दू परिवार है इसलिये उनका जन्मजात हक व अधिकार है। और वह 1/4 के भूमिस्वामी व आधिपत्यधारी हैं। प्रार्थीगण नाबालिग थे तथा प्रतिप्रार्थी क0-4 व 5 को कोई भी वैधानिक आवश्यकता नहीं थी अतः वगैर वैधानिक आवश्यकता के संयुक्त आधिपत्य की भूमि का वयनामा 08.08.14 एवं 03.01.85 को कर दिये हैं जिसमें उनका हक है। उक्त विवादित भूमि से लगी हुई प्रार्थीगण की अन्य पुश्तैनी संपत्ति है जो गोहदी मौजा एवं कीरतपुरा मौजा वादीगण की भूमि पर बने हुए हैं। और बीच में विवादित भूमि एवं अन्य पुश्तैनी भूमि के बीच में मेडा है। इसलिये सभी भूमि मौके पर मिली हुई हैं। प्रत्यर्थी क0-1 लगायत 3 ने

उनके हक की जमीन का गलत वयनामा करा लिया है जबिक प्रार्थीगण अपने हक के अनुसार उक्त भूमि पर काबिज हैं। प्रतिवादी क0—1 लगायत 3 गलत रूप से बंटा कायम कराकर विक्रय करना चाहते हैं और विक्रय करने को प्रयत्नशील हैं। तथा उन्होंने दिनांक 10.05.12 को विक्रय करने की धौंस दी जिससे प्रार्थीगण के हक व आधिपत्य को भारी खतरा पैदा हो गया है। अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अपीलार्थीगण/वादीगण के आधिपत्य में प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण किसी प्रकार की बाधा पैदा न करें और न ही किसी प्रकार का हस्तक्षेप करें।

- 4. प्रतिवादीगण / प्रत्यर्थीगण क्रमांक—1 एवं प्रतिवादी / प्रत्यर्थी कृ0—6 लगायत 10 की ओर से पृथक पृथक जवाब आवेदन प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए यह व्यक्त किया गया है कि वादीगण / अपीलार्थीगण की ओर से प्रतिवादीगण को परेशान करने के लिये झूंठा मनगढन्त दावा किया गया है। वादीगण / अपीलार्थीगण को विवादित भूमि में किसी प्रकार का कोई हक व स्वत्व प्राप्त नहीं है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी कृ0—4 व 5 लोकेन्द्र व राघवेन्द्र की एकांकी स्वामित्व की भूमि थी जिसका वयनामा दिनांक 08.08.84 एवं 03.01.85 को विधिवत किया गया है और प्रतिवादीगण अपने हिस्से पर काबिज होकर उसका उपयोग व उपभोग कर रहे हैं। अपीलार्थी / वादीगण ने अपना हिस्सा 1 / 4 होना गलत लेख किया है। उक्त भूमि के पूर्वस्वामी प्रतिवादी कृ0—4 लोकेन्द्र व 5 राघवेन्द्र थे जिन्होंने विधिवत प्रतिवादी कृ0—1 व 2 के हक में सही वयनामा निष्पादित किये हैं। तथा विकृय करने की धौंस देने की बात भी गलत लिखी गई है। तथा वादीगण / अपीलार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला न होने से वादीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।
- यह अपील मुख्य रूप से इस आधार पर पेश की गई है कि अपीलार्थी जब नाबालिग थे तब उनकी पैतृक संपत्ति का गलत रूप से वयनामा किया गया अतः बालिग होने पर उनके द्वारा अपने स्वत्वों की घोषणा बाबत यह दावा पेश किया गया है। उसमें अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत आवेदन पेश किया कि यह तथ्य भली भांति प्रमाणित है कि उक्त भूमि उनकी पैतृक संपत्ति है अतः अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार किये बिना क्योंकि अपीलार्थी ने सभी रिस्पॉन्डेन्ट / प्रत्यर्थी के विरूद्ध निषेधाज्ञा चाही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में मात्र प्रतिवादी / प्रत्यर्थी क0-1 लगायत 5 का ही निराकरण किया है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का अवलोकन न कर विधि विधान के विरूद्ध आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्ती है। अपीलार्थी द्वारा विधिवत अपने स्वत्वों का निराकरण हेत् दावा पेश किया। तथा हारने के बाद गलत रूप से वयनामा किया है लेकिन इस तथ्य पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि विधान के विपरीत होने से अपास्त किया जाकर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रत्यर्थीगण / प्रतिवादीगण द्वारा कराये गये विकय पत्र दिनांक 30.05.12 के आधार पर नामांतरण करावें तथा अपीलार्थी को विवावदित भूमि से बेदखल न करें तथा उक्त भूमि को रहन, व्यय, विक्रय करके किसी अन्य प्रकार से अन्य किसी के हक में अंतरण न करावें तथा अपीलार्थी / वादीगण के कब्जा बर्ताव में बाधा पैदा

न करें व फसल लेने दें।

- प्रत्यर्थी / वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में मूलतः इस बात पर बल दिया है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के लिये पैतृक संपत्ति है क्योंकि वह उनके पूर्वजों की है और उनके पिता राघवेन्द्र व ताउ लोकेन्द्र को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी। इसलिये उनका जन्म से उसमें अधिकार है। और 1/4 भाग का हिस्सा अपने पिता एवं ताउ के साथ है किन्तु वगैर किसी आवश्यकता के उनके पिता व ताउ ने उनकी वयस्कता की स्थिति में भूमि को अनाधिकृत रूप से विक्रय किया जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था। और मौके पर वास्तविकता में उनका ही कब्जा है और वे उसका उपयोग कर रहे हैं। किन्तू विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन बिन्दुओं पर कोई विचार नहीं किया और उनका अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन निरस्त किया है। जो विधि विधान के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है। क्योंकि वाद लंबन काल में भी भूमि पुनः विक्रय कर दी गई है। इसलिये उनकी यह प्रार्थना है कि विक्रय को और नामांतरण को निषेधित किया जाये और यथास्थिति का आदेश किया जाये क्योंकि हक का बिन्दू उत्पन्न है। तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश केवल प्रतिवादी / प्रत्यर्थी क0-1 लगायत 5 के संबंध में ही किया गया है, अन्य प्रतिवादियों के संबंध में नहीं किया गया है इसलिये अपील स्वीकार की जावे।
- 07— वादी/अपीलार्थीगण के अधिवक्ता के उक्त तर्क का विरोध करते हुए प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ताओं ने अपने तर्कों में यह बताया है कि राघवेन्द्र और लोकेन्द्र के द्वारा अपनी भूमियों के एकांकी स्वत्व के आधार पर प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क0—1 व 2 को बेची है जिन्होंने प्रतिवादी क0—3 को बेची और प्रतिवादी क0—3 के द्वारा प्रतिवादी क0—7 लगायत 11 को विक्रय की गई और उसमें वादी/अपीलार्थीगण का कोई हक व अधिकार नहीं था। तथा पैतृक संपत्ति भी नहीं है। इसलिये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलार्थीगण के अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन को अपास्त करने में कोई विधि या तथ्य की भूल नहीं की है और आदेश उचित है व अपील बेबुनियाद है इसलिये सव्यय निरस्त किया जाये।

08. विचारणीय प्रश्न यह है कि –

 ''क्या आक्षेपित आदेश विधि एवं तथ्यों के प्रतिकूल होकर अपास्त किये जाने तथा अपीलार्थी / वादीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदनपत्र स्वीकार किए जाने योग्य है ?''

विचारणीय प्रश्न कमांक 1

09. उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर मनन किया गया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन व परिशीलन किया गया । विधि के मान्य सिद्धांतों पर चिंतन किया गया । अपील ज्ञापन में उठाये गये बिन्दुओं और लिये गये आधारों एवं प्रस्तुत किये गये तर्कों पर चिंतन, मनन किया गया। मूल अभिलेख का अवलोकन करने पर यह स्थिति स्पष्ट होती है कि प्रत्यर्थी / प्रतिवादी क0—5 वादी / अपीलार्थी का पिता है तथा प्रतिवादी क0—4 ताउ है। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के मुताबिक वादग्रस्त भूमि के बंदोवस्त के पूर्व सर्वे क्रमांक—250 रकवा 0.042 है0 तथा सर्वे क्रमांक—251 रकवा

0.991 थे जो बंदोवस्त के पश्चात सर्वे क्रमांक—204 रकवा 0.53 है0 हुआ। प्रतिवादी क0—4 व 5 के द्वारा दिनांक 08.08.1984 को प्रतिवादी क0—1 व 2 दिनेश व राजेश को, सर्वे क्रमांक—251 रकवा 0.491 है0 विक्रय किया गया। तथा फिर दिनांक 03.0.85 को सर्वे क्रमांक—250 रकवा 0.042 संपूर्ण प्रतिवादी क0—1 व 2 को विक्रय किया गया। फिर प्रतिवादी क0—2 राजेश ने प्रतिवादी क0—3 शिवचरनलाल को बंदोवस्त के पश्चात बने सर्वे क्रमांक—204 रकवा 0.53 में से अपना 1/2 हिस्सा दिनांक 03.03.08 को विक्रय किया गया है जिन्हें मूल वाद में चुनौती देते हुए स्वत्व घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा और विक्रय पत्रों को उनके मुकाबले जन्म से अधिकार के आधार पर शून्य व प्रभावहीन घोषित किये जाने की प्रार्थना चाहते हुए संपूर्ण भूमि में 1/4 हिस्से की मांग की है जिसका गुण—दोषों पर ही निराकरण उभयपक्ष की साक्ष्य उपरान्त संभव है।

10. मूल अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि वाद लंबन काल में प्रतिवादी क0—3 शिवचरनलाल द्वारा नवीन बनाये गये प्रतिवादी क0—7 लगायत 11 को दिनांक 30.05.2012 को पंजीकृत विकय पत्र के द्वारा सर्वे कमांक—204/2 का रकवा 0.26.5 है0 (साढे 26 है0) विकय किया गया है। अभिवचनों में प्रतिवादी क0—4 व 5 अर्थात् वादीगण के पिता और ताउ का विकय की गई भूमि पर एकांकी स्वामित्व बताया गया है। वादग्रस्त संपत्ति पर राघवेन्द्र और लोकेन्द्र का एकांकी स्वामित्व था या वह पैतृक संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित भूमि थी, इसका निराकरण उभयपक्ष की साक्ष्य से ही संभव है। अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन का निराकरण करते समय मुख्यतः जिन बिन्दुओं पर विचार करना होता है उसमें यह देखना होता है कि क्या मामला वादी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या प्रबल है और क्या सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में क्या उसे ऐसी अपूर्तनीय क्षति कारित होने की प्रबल संभावना है जिसकी पूर्ति धन से या अन्य प्रकार से बाद में संभव नहीं होगी।

इस दृष्टि से अभिलेख के परिशीलन करने पर अभिलेख पर ऐसा कोई राजस्व अभिलेख वादी / अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि विवादित संपत्ति को वादीगण के लिये पैतृक होना प्रथम दृष्ट्या दर्शित करता हो। क्योंकि वादीगण के पिता राघवेन्द्र और ताउ लोकेन्द्र के पिता द्वारिका प्रसाद कायस्थ के नाम का कोई भी राजस्व अभिलेख पेश नहीं किया गया है। जो यह दर्शित करे कि भूमि लोकेन्द्र व राघवेन्द्र को पिता से मिली और अविभाजित होकर संयुक्त हिन्दू परिवार की थी। जबकि अभिलेख पर जो अन्य दस्तावेज हैं उन्हें देखने पर यह भी प्रकट होता है कि चंदनलाल आदि से लोकेन्द्र ने सर्वे क्रमांक—251 का रकवा 02 बीघा 07 विस्वा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 24.07.59 के द्वारा क्य किया गया था जिसके संबंध में वादी / अपीलार्थी मौन है। खसरा पंचशाला संवत 2065 से 2059 के मुताबिक केता शिवचरनलाल का नाम राजस्व अभिलेख में अंकित है और संवत 2066 की खतौनी मुताबिक जो बंदोवस्त के बाद सर्वे क्रमांक—204 बना फिर दोनों क्रेताओं के अलग-अलग सर्वे क्रमांक होकर 204/1, 204/2 बने। सर्वे क्रमांक-204/1 पर दिनेश कुमार का नाम अंकित है और सर्वे क्रमांक-204/02 की भूमि शिवचरनलाल के द्वारा नवीन बनाये गये प्रतिवादी क0-7 लगायत 11 को विकय की गई है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या जन्मजात हक का जो आधार दर्शाते हुए मूल दावा कर सहायता चाही गई उसका कोई भी प्रमाण अभिलेख पर नहीं है

जिससे चाही गई सहायता के लिये प्रथम दृष्ट्या वादी / अपीलार्थीगण के पक्ष में प्रबल मामला नहीं बनता है।

12— जहाँ तक वादी / अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा तर्कों में यह बिन्दु उठाया गया है कि विक्रय न किया जाये और नामांतरण न किया जाये तो नामांतरण के संबंध में यह सुस्थापित विधि है कि नामांतरण हक का आधार नहीं होता है। ऐसे में नामांतरण से गुण—दोषों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और उसके संबंध में कोई आदेश की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक विक्रय निष्पादित किये जाने की प्रार्थना की गई है, वाद लंबन काल में विक्रय संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा—53 (ए) के तहत विचाराधीन वाद के सिद्धान्त के अंतर्गत आती है (गवर्न होती है)। इसलिये यदि गुण—दोषों पर वादी / अपीलार्थीगण यह प्रमाणित करने में सफल होते हैं कि उनका वादग्रस्त संपत्ति में जन्म से अधिकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत था तो उनके बताये जाने वाले हिस्से की सीमा तक विक्रय पत्र स्वतः ही प्रभावहीन हो जाते हैं जिसका निराकरण भी गुण—दोषों पर ही संभव है।

13— जहाँ तक यह बिन्दु उठाया गया है कि आदेश केवल प्रतिवादी क0—1 लगायत 5 के संबंध में ही किया गया है, इस संबंध में अभिलेख का अवलोकन करने पर वादीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा—151 सीपीसी भी केवल प्रतिवादी क0—1 लगायत 5 के संबंध में ही पेश किया गया था और नवीन बनाये गये अन्य प्रतिवादीगण को आवेदन पत्र के दिनांक 13.02.14 को निराकरण होने के पूर्व आवेदन में समाहित नहीं किया गया है इसलिये यह बिन्दु कोई महत्व नहीं रखता है। तथा जहाँ तक कब्जे का प्रश्न है, आवेदकगण का मौके पर वास्तविक आधिपत्य होने का भी कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है इसलिये हस्तक्षेप के संबंध में चाही गई अस्थाई निषेधाज्ञा को भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अस्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है।

जहाँ तक यह बिन्दु उठाया गया है कि वादी/अपीलार्थीगण की 14-नाबालिगी में उनके पिता व ताउ द्वारा वयनामा किये गये तो इस संबंध में स्वयं वादी / अपीलार्थीगण के मूल वाद पत्र मुताबिक उनके द्वारा दिनांक 16.05.12 को वाद पेश किया गया। तब हरेन्द्र की उम्र 32 वर्ष ओर अखलेन्द्र की उम्र 29 वर्ष बताई। अर्थात् 18 वर्ष की आयु प्राप्त करते ही उनके द्वारा नाबालिगी के बिन्दु के आधार पर कोई नहीं किया गया और ऐसे भी अभिवचन नहीं हैं कि वयनामों की जानकारी उन्हें कब हुई। ऐसी स्थिति में वयस्कता प्राप्त करने के पश्चात दावा प्रस्तुति में व्यतीत दीर्घ अवधि भी गुण-दोषों पर ही नाबालिगी के बिन्दु को निर्धारित करने में देखी जा सकती है। इस प्रक्रम पर इसका कोई विधिक औचित्य नहीं है। ऐसी स्थिति में आलोच्य आदेश मृताबिक वादी/अपीलार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित करने से विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्कार करने में कोई तथ्यात्मक या विधि संबंधी भूल की जाना नहीं पाया जाता है। इसलिये वादी/अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत विविध सिविल अपील के माध्यम से चाही गई सहायता इस न्यायालय से भी प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। फलतः उनकी प्रस्तुत विविध सिविल अपील वाद विचार सारहीन मानते हुए निरस्त की जाती है।

15. प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए उभयपक्ष अपना—अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे। जिसमें अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम जो जोड़ा जावे।

तद्नुसार व्यय तालिका बनायी जावे ।

दिनांक- 13/03/2015

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(पी०सी०आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड (पी०सी०आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड